

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08112024-258540 CG-DL-E-08112024-258540

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4477]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 8, 2024/कार्तिक 17, 1946

No. 4477]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 8, 2024/KARTIKA 17, 1946

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2024

का.आ. 4858(अ).—राष्ट्रपति, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति श्री भूषण रामकृष्ण गर्वई को 11.11.2024 से प्रभावी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करते हैं।

[फा. सं. ए-60011/44/2015-एलएपी (न्याय)]

राज कुमार गोयल, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2024

S.O. 4858(E).—In exercise of the powers conferred under Clause (b) of sub-section (2) of Section 3 of the Legal Services Authorities Act, 1987, the President is pleased to nominate Hon'ble Shri Justice Bhushan Ramkrishna Gavai, Judge, Supreme Court of India, as Executive Chairman, National Legal Services Authority, with effect from 11.11.2024.

[F. No. A-60011/44/2015-LAP(JUS)]
RAJ KUMAR GOYAL, Secy.